न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या –108/2022
जीसीएमएस नं0 – 2022/271
उनवानः–

1. दिनेश
2. दिलीप

पुत्रगण स्व. रामजीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम इन्छापुरा तहसील मनियां

3. इन्द्रा पुत्री स्व. रामजीलाल पत्नि पप्पू जाति जाटव निवासी ग्राम ताल सैमरी तहसील व जिला आगरा यू0पी0
4. मुद्रा पुत्री स्व0 रामजीलाल पत्नि अरूण ग्राम सैमरी तहसील व जिला आगरा उ0प्र0 हाल आबाद कोटली बगीची छावनी तहसील व जिला आगरा
5. भीकम सिंह पुत्र स्व0 मोतिया उर्फ मोतीराम जाति जाटव निवासी ग्राम इन्छापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल आबाद कोटली वगीची चुंगी छावनी आगरा तहसील व जिला आगरा (यू0पी0)
6. कुमरसैन । पुत्रगण स्व0 मोतिया उर्फ मोतीराम जाति जाटव निवासी
7. मानिकचंद । बगीची देवरी रोड मधुनगर आगरा एकता चौकी के पास बगीची आगरा तहसील व जिला आगरा उ0प्र0
8. राजनदेवी पुत्री स्व0 मोतिया उर्फ मोतीराम पत्नि गंगाराम जाति जाटव निवासी नगला पदमा तहसील व जिला आगरा यू0पी0
9. मीरा पुत्री स्व0 मोतिया उर्फ मोतीराम पत्नि दिगम्वर जाति जाटव निवासी लालऊ (मलपुरा के पास) तहसील व जिला आगरा यू0पी0
10. ईश्वरदेवी पत्नि स्व0 गुलवा उर्फ गुलाव सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सैंया तहसील खेरागढ जिला आगरा यू0पी0
11. सुखवीर ।
12. रघुवीर । पुत्रगण गुलाव उर्फ गुलाव सिंह जाति जाटव निवासी ईमली गली सैया
13. उदयवीर । तहसील खेरागढ जिला आगरा यू0पी
14. भूरीसिंह ।
15. ममता पुत्री गुलवा उर्फ गुलाव सिंह पत्नि ग्यानसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम सैया हाल निवासी मने का पुरा किरावली तहसील किरावली जिला आगरा (यू0पी0)
16. संगीता पुत्री गुलवा उर्फ गुलाव सिंह पत्नि श्री मुकेश जाति जाटव निवासी ग्राम सैंया हाल निवासी मने का पुरा किरावली तह0 किरावली जिला आगरा यू0पी0

————————————वादीगण

बनाम

1. अतेन्द्र सिंह । पुत्रगण रामचरन जाति ठाकुर निवासीगण इन्छापुरा
2. रामप्रकाश सिंह । तहसील मनियां जिला धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

3. सगुनादेवी पत्नि रामचरन जाति ठाकुर निवासी इन्छापुरा तहसील मनियां
4. किशुनिया पत्नि ग्यासीराम । इन्छापुरा तहसील मनियां
5. गीताराम पुत्र ग्यासीराम ।
6. हरीचन्द पुत्र ग्यासीराम ।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा धौलपुर जरिये प्रबन्धक
8. तहसीलदार मनियां लैण्ड होल्डर———————————————— तरतीवी प्रतिवादी

दावा बावत स्वत्व घोषणा एंव स्थाई
निषेधाज्ञा राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11
सी0पी0सी0

उपस्थितिः—
1. श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री जे0पी0राजपूत एडवोकेट वादीगण की ओर से

दिनांकः—21.03.2025

निर्णय

दावा वास्ते इश्तकरार हक,एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 381 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा वाक ग्राम इन्छापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी है। वादपत्र में फूसिया का सिजरा अंकित करते हुए अंकित किया है कि विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 381 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम इन्छापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में स्थित है।विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 381 रकवा 1 वीघा 3 विस्वा वाके ग्राम इन्छापुरा के वादीगण के पिता पूर्व पुरूष स्व0 वेदरिया व स्व0 पंचा पुत्रगण फूसिंया जाति जाटव 1/2 हिस्से के तथा 1/2 हिस्से के रामजीलाल पुत्र स्व0 पंचा खातेदार काश्तकार थे और मौके पर काबिज थे। उनकी मृत्यु के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1856 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वादीगण को उक्त कथित अराजी में विरासतन हकूक खातेदार हासिल हुए है। वादीगण संख्या 1 —4 के पिता रामजीलाल पुत्र स्व0 पंचा की मृत्यु दिनांक 5.4.2000 को हो चुकी है। वादीगण संख्या 5 लगा0 9 के पिता मोतीराम उर्फ मोतिया की मृत्यु दिनांक 20.10.2006 को हो चुकी है। एंव वादीगण संख्या 10 लगायत 16 के पिता गुलवा उर्फ गुलाव सिंह की मृत्यु दिनांक 12.06. 2016 को हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्व पुरूष स्व0 रामचरन व स्व0 ग्यासिया पुत्रगण स्व0 मोहन सिंह ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर संवत 2034—37 की जमाबंदी में अपने नाम से फर्जी एंव पोषीदा तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात करवा लिए जो वादीगण पर पांबदी नही है और प्रारंम्भ से ही शून्य है। विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने करीब 03 माह पूर्व वादीगण से इजहार किया कि विवादित आराजी की खातेदारी हमारे नाम से है और वादीगण को विवादग्रस्त आराजी पर काश्त नही करने देंगे। तब राजस्व रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाया तब वादीगण को पता चला कि मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम से इन्द्राजात है। अतः दावा वादीगण

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी के वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत बेजा नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादपत्र ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम इन्छापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर को विवादग्रस्त मानते हुए उसके स्वत्व घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज हेतु पेश किया है। वादपत्र के मद संख्या 7 में वादीगण ने लिखा है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्व पुरूष स्व. रामचरन एव स्व0 ग्यासिया पुत्रगण स्व. मोहनसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर संवत् 2034–37 की जमाबंदी में अपने नाम से फर्जी एंव पोषीदा तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करा लिए थे। विवादग्रस्त ख.नं. के साबिक खसरा नम्बर 483 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष मोहन सिंह 1955 से पूर्व संवत् 2009 अर्थात 1952 से काबिज होकर काश्त करते थे जिसके आधार पर संवत् 2019 से 2022 की जमाबंदी के इन्तकाल संख्या 265 के तहत मोहनसिंह की विरासत में रामचरन व ग्यासिया के नाम इन्द्राज कर दिए थे लेकिन बन्दोवस्त विभाग ने वादीगण के पूर्व पुरूष बेदरिया व पंचा पिसरान फूसियां 1/2 रामजीलाल पुत्र पंचा हिस्सा 1/2 का इन्द्राज कर दिया लेकिन कब्जा रामचरन एंव ग्यासिया का ही रहा। जैसे ही रामचरन व ग्यासिया पिसरान मोहन सिंह के बन्दोवस्त के गलत इन्द्राजात का ज्ञान हुआ तो रामचरन व ग्यासिया ने एक वाद वास्ते इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती इन्द्राज अधीन धारा 88 व 92ए राज0 टेनेन्सी एक्ट एंव धारा 125 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत न्यायालय ए0डी0एम0 धौलपुर के समक्ष बेदरिया पंचा एंव रामजीलाल के विरूद्ध उनवानी रामचरन बनाम बेदरिया वगैरा प्रस्तुत किया दौरान दावा बेदरिया व पंचा का देहान्त हो गया उनके स्थान पर मोतीराम गुलाबसिंह पुत्रगण बेदरिया रूमाली पुत्री बेदरिया एंव रामजीलाल पुत्र पंचा को पक्षकार बनाया गया और इसी अनुसार तरमीम दावा प्रस्तुत किया गया दावा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 13.11.1975 को मोतीराम गुलाबसिंह व बेदरिया व रामजीलाल पुत्र पंचा एंव रूमाली पुत्री बेदरिया ने न्यायालय ए डी एम धौलपुर में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा वादीगण बिला खर्चा डिक्री फरमाया जावे और खर्चा मुकदमा फरीकन रखा जावे। जिसके आधार पर न्यायालय ए डी एम धौलपुर ने दावा दिनांक 07.04.1976 को डिक्री करते हुए रामचरन व ग्यासिया को खातेदार घोषित कर दिया। तब से राजस्व रिकॉर्ड में उनका तथा उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 का नाम चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस प्रकरण के वादीगण मोतीलाल गुलाबसिंह व रामजीलाल के वारिसान है जो न्यायालय के निर्णय व डिक्री से पावन्द है उन्हे पुनः न्यायालय में दावा करने का अधिकार नही है। रेसज्यडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। दावा वादीगण बार्ड वाई लॉ है जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण की ओर से इस आशय का पेश किया कि वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है और जाति से जाटव है । ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूषों के

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

नाम से संवत 2034–37 तक की जमाबंदी में उनके नाम से दर्ज खातेदारी के इन्द्राजात व मुकाबले पूर्व पुरूष वादीगण एंव मुकाबले वादीगण प्रारम्भ से ही शून्य एंव निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण पर काबिल पांबदी नही है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 6 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के साथ न्यायालय श्रीमान ए0डी0एम0 धौलपुर के दावा उनवानी रामचरन बनाम बेदरिया मु0 नं0 26/75 की आदेशिका दिनांक 15.01.76 से 07.04.76, दावा की प्रमाणित प्रति, निर्णय व डिक्री दि0 7.4.76 की प्रमाणित प्रति,का0मु0 प्रार्थना पत्र की प्रति, तरमीम दावा प्रति एंव राजीनामा प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विद्वान अभिभाशक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि वादीगण की ओर से वादपत्र ख.नं. 381 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम इन्छापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर को विवादग्रस्त मानते हुए स्वत्व घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज हेतु पेश किया है। वादपत्र के मद संख्या 7 में वादीगण ने लिखा है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्व पुरूष स्व. रामचरन एंव स्व0 ग्यासिया पुत्रगण स्व. मोहनसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर संवत् 2034–37 की जमाबंदी में अपने नाम से फर्जी एंव पोषीदा तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करा लिए थे। विवादग्रस्त ख.नं. के साबिक खसरा नम्बर 483 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा पर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष मोहन सिंह 1955 से पूर्व संवत् 2009 अर्थात 1952 से काबिज होकर काश्त करते थे जिसके आधार पर संवत् 2019 से 2022 की जमाबंदी के इन्तकाल संख्या 265 के तहत मोहनसिंह की बिरासत में रामचरन व ग्यासिया के नाम इन्द्राज कर दिए थे लेकिन बन्दोवस्त विभाग ने वादीगण के पूर्व पुरूष बेदरिया व पंचा पिसरान फूसियां 1/2 रामजीलाल पुत्र पंचा हिस्सा 1/2 का इन्द्राज कर दिया लेकिन कब्जा रामचरन एंव ग्यासिया का ही रहा। जैसे ही रामचरन व ग्यासिया पिसरान मोहन सिंह के बन्दोवस्त के गलत इन्द्राजात का ज्ञान हुआ तो रामचरन व ग्यासिया ने एक वाद वास्ते इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती इन्द्राज अधीन धारा 88 व 92ए राज0 टेनेन्सी एक्ट एंव धारा 125 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत न्यायालय ए0डी0एम0 धौलपुर के समक्ष बेदरिया पंचा एंव रामजीलाल के विरूद्ध उनवानी रामचरन बनाम बेदरिया वगैरा प्रस्तुत किया दौरान दावा बेदरिया व पंचा का देहान्त हो गया उनके स्थान पर मोतीराम गुलाबसिंह पुत्रगण बेदरिया रूमाली पुत्री बेदरिया एंव रामजीलाल पुत्र पंचा को पक्षकार बनाया गया और इसी अनुसार तरमीम दावा प्रस्तुत किया गया दावा प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 13.11.1975 को मोतीराम गुलाबसिंह व बेदरिया व रामजीलाल पुत्र पंचा एंव रूमाली पुत्री बेदरिया ने न्यायालय ए डी एम धौलपुर में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा वादीगण बिला खर्चा डिक्री फरमाया जावे और खर्चा मुकदमा फरीकन रखा जावे। जिसके आधार पर न्यायालय ए डी एम धौलपुर ने दावा दिनांक 07.04.1976 को डिक्री करते हुए रामचरन व ग्यासिया को खातेदार घोषित कर दिया। तब से राजस्व रिकॉर्ड में उनका तथा उनके देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 का नाम चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस प्रकरण के वादीगण मोतीलाल गुलावसिंह व रामजीलाल के वारिसान है जो न्यायालय के निर्णय व डिक्री से पावन्द है उन्हे पुनः न्यायालय में दावा करने का अधिकार नही है। चूंकि इस वादपत्र में विवादित बिन्दु दिनांक 06.04.1976 को

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

तय हो चुका है ऐसी स्थिति में वादपत्र वादीगण रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। दावा वादीगण बाबत वाद लॉ है जो इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वादी / अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है और जाति से जाटव है । ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूषों के नाम से संवत 2034-37 तक की जमाबंदी में उनके नाम से दर्ज खातेदारी के इन्द्राजात व मुकाबले पूर्व पुरूष वादीगण एवं मुकाबले वादीगण प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण पर काबिल पाबंदी नही है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधान प्रभावी रूप से लागू नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 6 ने प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी के माध्यम से मुख्यतः यह तथ्य स्पष्ट किया है कि प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 381 ग्राम इन्छापुरा के बावत वाद दिनांक 07.04.1976 को न्यायालय ए0डी0एम0 धौलपुर द्वारा निर्णीत किया गया है। अतः यह दावा रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। अप्रार्थी / वादीगण के अभिभाषक ने वादीगण का अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण शून्य व निष्प्रभावी होना कथन किया है। जहां तक वादीगण का अनुसूचित जाति के सदस्य होने का प्रश्न है, तो प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के माध्यम से प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाना अपेक्षित नही है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ मा0 न्यायालय ए0डी0एम0 धौलपुर द्वारा निर्णीत वादपत्र, निर्णय व डिक्री की प्रति एंव अन्य दस्तावेजात पेश किए है। जिनके अवलोकन से इस वादपत्र में विवादित आराजी ख. नं. 381 ग्राम इन्छापुरा के बावत एक दावा रामचरन वगैरा बनाम वेदरिया वगैरा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर से दिनांक 07.04.76 को निर्णीत हुआ है। हस्तगत वादपत्र में वादीगण ने पंचा व वेदरिया पुत्रगण फूसिंगा को अपना पूर्व पुरूष तथा रामचरन व ग्यासिया पुत्रगण मौहर सिंह को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का पूर्व पुरूष होना कथन किया है। उक्त वेदरिया, पंचा, रामचरन व ग्यासिया न्यायालय अति0जिलाधीश धौलपुर के द्वारा निर्णीत वाद में पक्षकार थे। **Res judicata** के सिद्धान्त के तहत निर्णीत विवाद (**A matter already judged**) को दोबारा उसी पक्षकारों के बीच अदालत में नही लाया जा सकता। चूंकि हस्तगत वाद के पक्षकारों के पूर्व पुरूषों के बीच विवाद का निस्तारण उस वाद के प्रतिवादीगण (इस वाद के वादीगण के पूर्व पुरूषों) की स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णीत किया जा चुका है। अतः यह दावा वादीगण **Res judicata** के सिद्धान्त से बाधित है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा दावा वादीगण विधि द्वारा वर्जित (**Res judicata** के सिद्धान्त से बाधित) होने के कारण आदेश 07 नियम 11 (घ) सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्ब जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर